न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 10/2020 अपील/बांसवाड़ा
पंजीयन दिनांक– 03.02.2020
निर्णय दिनांक– 26.08.2020

श्री हरिसिंह पिता श्री जसवन्त सिंह राव जाति राजपूत निवासी राजपुर तहसील गढी जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य मार्फत तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

श्री महेश भट्ट : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री योगेन्द्र दशोरा, राजकीय अभि. : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा
के प्रकरण संख्या 7/2017 निर्णय दिनांक 25.10.2017

निर्णय

दिनांक : 26.08.2020

अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा के प्रकरण संख्या 07/2017 निर्णय दिनांक 25.10.2017 के विरूद्ध दिनांक 11.12.2017 को न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 15.01.2020 को दर्ज की गई। जिला बांसवाड़ा से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 03.02.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण में प्रस्तुत द्वितीय अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवार हल्का करणपुर की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट ने ग्राम राजपुर के आराजी नम्बर 666/42 रकबा 0.16 है. एवं आराजी नम्बर 43 रकबा 0.10 है. कुल किता दो कुल रकबा 0.26 है. भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किये जाने से राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत

अतिक्रमी घोषित करते हुए किस्म रास्ता भूमि से बेदखली करने के आदेश एवं शास्ती आरोपित किये जाने पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत करने पर प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने से अपील अपीलान्ट खारिज करने का निर्णय दिनांक 25.10.2017 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया है "***हमने प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं विद्धान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार प्रकरण संख्या 13/2016 दिनांक 23.09.2016 दर्ज किया गया। दिनांक 18.10.2016 को अतिक्रमी की उपस्थिति का उल्लेख है, साथ ही प्रकरण में अपीलार्थी स्वंय ने जवाब प्रस्तुत करने का उल्लेख भी किया है कि जिससे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। पटवारी की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतः तहसीलदार, गढ़ी के निर्णय दिनांक 03.03.2017 के संबंध में किसी पकार का हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं। अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में अपीलार्थी का अपील प्रकरण निरस्त किया जाकर तहसीलदार, गढ़ी का निर्णय दिनांक 03.03.2017 को यथावत रखा जाता है।***" अंकित करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने के आदेश पारित किया गया है।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 11.12.2017 को अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से अभिलेख पत्रवालियॉ मंगवाई गई। अपीलान्ट की ओर से श्री महेश भट्ट, अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस समायत की गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया कि अपीलान्ट पिछले 50 वर्षो से सर्वे नं. 43 एवं 666/42 पर कोई रास्ता नहीं है। रास्ते पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है। वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 42 व 44 पर खातेदारों का कब्जा काश्त है तथा वर्षो से कृषि कार्य के उपयोग एवं उपभोग में आ रही है। प्रकरण सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का नही है बल्कि मुख्य विवाद तरमीम का है। मौके पर जो भूमि रास्ते की है, उसका तरमीम राजस्व नक्षा ट्रेस में नहीं किया गया है। मौके पर जो भूमि कृषि भूमि है, जिस पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है, उस भूमि का राजस्व नक्षे में तरमीम किया गया है। इस प्रकार यह विवाद तरमीम अशुद्धि के कारण उत्पन्न हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा एकतरफा निर्णय पारित किया गया है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी पटवारी हल्का करणपुर की मौका रिपोर्ट 17.3.2017 में यह उल्लेख किया कि सर्वे

नम्बर 43 एवं सर्वे नम्बर 666/42 की भूमि मौके पर अन्य सर्वे नम्बरों के साथ अन्दर मिले होकर मौके पर फसल खडी है। उक्त सर्वे नम्बरो की भूमि सर्वे नम्बर 42 एवं सर्वे नम्बर 44 की भूमि में मौके पर मिली हुई है, जिसके खातेदार श्री धमेन्द्रसिंह एवं श्री महीपालसिंह काबिज है एवं गेहूं की फसल की है। विवादग्रस्त भूमि उपनिवेशन की भूमि नहीं है। रास्ते की भूमि उपनिवेशन की नहीं है। उपखण्ड अधिकारी गढी ने तहसीलदार गढी को पत्र दिनांक 15.3.2017 के अनुसार 91(6) भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करने का लिखा है। अतः उपनिवेशन के नियम लागू नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा बेदखल करने एवं शास्ती आरोपित करने में कानूनी भूल की है। तहसीलदार गढी ने राजनैतिक दबाव में आकर कार्यवाही की है। कालान्तर पिछले 50 वर्षो से कोई रास्ता वादग्रस्त भूमि में नहीं है। भूमि वर्षो से कृषि कार्य के उपयोग व उपभोग में आ रही है। वादग्रस्त भूमि पर मौके पर फसल खडी है। आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद है। कृषि भूमि के स्थान पर रास्ते की तरमीम नक्शे में की गई है जिससे विवाद उत्पन्न हुआ हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखने मे भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त तथा धारा 22 की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया तथा प्रकरण में दोनो पक्षों की साक्ष्य ली जाकर एवं मौके की स्थिति को देखकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमांड करने का निवेदन किया गया। अपीलांट द्वारा न्यायिक नजीर RRD 1994 Page 208 भी पेश की

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त श्री सरकार भूमि के रास्ते पर अतिक्रमण किये जाने एवं अतिक्रमीण स्वंय द्वारा अतिक्रमण स्वीकार करने तथा अपना पुराना कब्जा संबंधी कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है। साथ ही राजस्व रेकर्ड एवं पटवारी की रिपोर्ट में उक्त तथ्य प्रमाणित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय यथावत रखने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों/अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त समस्त उपलब्ध विवेचना, लिखित, मौखिक अभिकथन एवं रेकर्ड/साक्ष्य की विवेचना के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार गढ़ी द्वारा कार्यवाही की गयी है। तहसीलदार गढ़ी ने ग्राम राजपुरा की आराजी नं0 666/42 रकबा 0.16 हैक्टेयर तथा आराजी नं0 43 रकबा 0.14 हैक्टेयर जिसकी किस्म रास्ता होकर राजकीय भूमि है, उस पर अतिक्रमण के प्रकरण को लेकर कार्यवाही कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर देने व उसके बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण निर्णय

दिनांक 03.03.2017 को अतिक्रमी को बैदखल किये जाने एवं पेनल्टी वसूल किये जाने का निर्णय पारित किया है। तहसीलदार की पत्रावली में विभिन्न अख़बारों में उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने व आमजनों की शिकायतें इत्यादि उपलब्ध है तथा निर्णय की पालना में अपीलांट द्वारा अतिक्रमण हटाया जाना स्वीकार किया है।

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा उपरोक्त निर्णय की अपील होने पर अतिक्रमण हटाने के तहसीलदार के निर्णय को बहाल रखा है। अपीलांट का प्रमुख उज्र यह है कि विवादित अतिक्रमित भूमि मौके पर रास्ता नहीं होकर रास्ता अन्यत्र है तथा यह प्रकरण तरमीम दुरूस्ती का है परन्तु उनसे दौराने बहस पूछे जाने पर भी तरमीम दुरूस्ती का प्रकरण किसी न्यायालय में लम्बित होना नहीं बताया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित भूमि राजकीय रास्ते की भूमि है तथा अपीलांट का यह कहना कि मौके पर राजस्व रेकर्ड के अनुसार रास्ता नहीं होकर अन्यत्र रास्ता है, यह तर्क कतई मान्य नहीं है क्योंकि राजस्व रेकर्ड में भूमि की किस्म राजकीय रास्ता है। उस पर अतिक्रमण किये जाने का अपीलांट को कोई अधिकारिता नहीं है, तद्नुसार हम तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर